अंतरिम केंद्रीय बजट 2014-2015 की विशेषताएं

● रक्षा सेवाओं के लिए एक रैंक एक पेंशन स्वीकृत.
● 2013-14 का वित्तीय घाटा जी.डी.पी. का 4.6 प्रतिशत होगा. करेंट अकाउंट डेफिनिट (सी.ए.डी.) 45 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम रखा जाएगा.
● खाद्य स्फीति 13.6 प्रतिशत से तेजी से घट कर 6.2 प्रतिशत हुई है.
● 2013-14 का मर्चेंडाइज निर्यात 326 बिलियन अमरीकी डॉलर, 6.3 प्रतिशत वृद्धि.
● चालू वर्ष में कृषि विकास दर 4.6 प्रतिशत बढ़ी.
● रक्षा आवंटन में 10 प्रतिशत की वृद्धि.
● निर्भया निधि में सरकार 100 करोड़ रु. का योगदान करेगी.
● ऑटोमोबाइल एवं कैपिटल गूड्स उद्योग को उत्पाद शुल्क में बड़ी राहत. मोबाइल हैंडसेट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास.
● गैर कानूनी ऑफ शोर अकाउंट्स के 67 मामलों का पता लगा. कर देयता के निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ. जानबूझकर कर बचाने के अन्य 17 मामलों में मुकद्दमे चलाए गए.
● 2009 से पूर्व ऋण लेने वाले छात्रों को राहत.

सरकार ने रक्षा बलों के लिए **एक रैंक एक पेंशन** के सिद्धांत को स्वीकार किया और इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ रु. आवंटित किए हैं.

कृषि क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ा कर 800000 करोड़ कर दिया गया है. फार्म ऋणों पर ब्याज की प्रभाव दरें. ब्याज सहायता तथा प्रोम भुगतान के लिए प्रोत्साहन के बाद 4 प्रतिशत रखी गई है.

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता को मजबूत करने के लिए अंतरिम बजट में 11000 करोड़ रु. से अधिक की लागत पर एक आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की गई है. इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में और अगले वर्ष के लिए निधि का प्रावधान किया गया है. इस निर्णय का उपयोग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी व्यवस्था करने के लिए किया जाएगा.

सरकार निर्भया निधि को पहले प्रदान किए गए 1000 करोड़ रु. के अतिरिक्त 1000 करोड़ रु. का योगदान देगी.

पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को 1200 करोड़ रु. की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जा रही है.

अनुसूचित जातियों के लिए रु.200 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी राशि पर एक बैंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है.

400 जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे पुनर्गठित आई.सी.डी.एस. को शेष जिलों में भी फैलाया जाएगा.

युवाओं को कौशल प्रदान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सफलता को देखते हुए निगम को 1000 करोड़ रु. देने का प्रस्ताव है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा को बताया कि अगस्त, 2013 में चलाई गई राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन तथा आर्थिक पुरस्कार योजना में 168043 युवाओं ने नामांकन कराया और 77,710 युवा अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं. 24 क्षेत्र कौशल परिषदों, 442 प्रशिक्षण सहभागियों तथा 17 निर्धारण एजेंसियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है. 204 रोज़गार रोल्स को अंतिम रूप दिया गया है. एन.एस.डी.सी. के कार्यक्रम का तेजी से विस्तार करने के लिए न्यास को समर्थ बनाने के लिए पिछले वित्त वर्ष 2013-14 में 1000 करोड़ रु. अलग रखे गए थे. यह राशि एन.एस.डी. ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाएगी तथा 1000 करोड़ रु. की अन्य राशि अगले वर्ष (2014-15) में अंतरित करने का प्रस्ताव है. वित्त मंत्री ने छात्रों द्वारा मार्च, 2009 लिए गए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की. इससे लगभग 9 लाख छात्रों को लाभ होगा. योजना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2013 तक की बकाया ब्याज देयताओं का भुगतान सरकार करेगी, किंतु छात्रों को 1 जनवरी, 2014 से ब्याज का भुगतान करना होगा.

भविष्य पर दृष्टि

आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के कार्यों को निर्धारित करने में वित्त मंत्री ने वित्तीय घाटा जी.डी.पी. के 3 प्रतिशत पर रखने, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, स्फीति को एक संतुलित स्तर पर रखने तथा वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया. उन्होंने आधारिक संरचना के पुनर्निर्माण तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. सब्सिडी पर नियंत्रण रखने के लिए शहरों तथा कौशल विकास की बिगड़ती स्थिति का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा. राज्यों को फ्लैगशिप कार्यक्रमों की लागत में हाथ बटाना चाहिए. ताकि रक्षा, रेलवे आदि को अधिक संसाधन आबंटित किए जा सकें.

राजस्व प्रस्ताव

छोटी कारों, मोटर साइकिलों, स्कूटरों तथा वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क 4 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव है. यह शुल्क 12 प्रतिशत से घटा कर 8 प्रतिशत कर दिया जाएगा. एस.यू.वी. पर उत्पाद शुल्क 6 प्रतिशत कम करके इसे 30 प्रतिशत से घटा कर 24 प्रतिशत किया जाएगा.

बड़ी तथा मध्यम सेगमेंट कारों के मामले में उत्पाद शुल्क 3 प्रतिशत कम करके इसे 27/24% से घटा कर 24/20% किया जाएगा. ये सभी घटी हुई दरें 30 जून, 2014 से लागू होंगी.

कैपिटल गुड्स तथा उपभोक्ता मॉन ड्यूरेबल्स में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी सामानों पर उत्पाद शुल्क 30 जून, 2014 तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. यह छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 84 एवं 85 के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों पर लागू है. मोबाइल हैंडसेट्स के देसी उत्पादन को प्रोत्साहन देने और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए मोबाइल हैंडसेट्स की श्रेणी के लिए उत्पाद शुल्क की पुनर्संरचना का प्रस्ताव है. दरें केटवैट क्रेडिट के साथ 6 प्रतिशत और बिना केटवेट क्रेडिट के एक प्रतिशत होगी. साबुन तथा ओलियो रसायनों के देसी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गैर खाद्य ग्रेड के औद्योगिक तेलों तथा फ्रैक्शन, फैटी एसिड एवं फैटी एल्कोहल पर सीमा शुल्क संरचना 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. सड़क निर्माण की विशिष्ट मशीनरी के देसी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समतुल्य प्रकार की आयातित मशीनरी पर सीबीडी से छूट वापस लेने का प्रस्ताव है. एक अनुसंधान वित्त पोषण संगठन की स्थापना की जाएगी, जो एकप्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चुनी हुई अनुसंधान परियोजनाओं को निधि होगा. प्रत्यक्ष कर को (डीटीसी) तैयार है और सार्वजनिक विचार-विमर्श के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा.